ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस ने मोदी और शाह का पुतला फूंका

बीकानेर, (कासं)। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी शहर व देहात के

■ **नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया**

संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब होने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका।

बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला जलाने के इरादे से कांग्रेसजन गांधी पार्क से म्यूजियम सर्किल होते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए लेकिन पन्नालाल बारूपाल की मूर्ति के पास पुलिस ने बेरिकेट्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच में रोका गया। इस दौरान माहौल गर्माया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान और तीखी नोकझोंक हुई। वहीं सड़क पर कांग्रेसजनों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए मोदी व शाह का पुतला फूंका। इस अवसर पर शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है। इसलिए ईडी की शिकायत खारिज कर दिया।

पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल व श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।। इस मामले को लेकर गोदारा ने इसे सत्य की जीत बताया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता ही नहीं है। मेघवाल ने कहा कि कोर्ट का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सत्य को सत्ता के दबाव में दबाया नहीं जा सकता। इस मामले में पीएमएलए के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केस शुरू से ही मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार को बदनाम करना था। जब आरोपों में दम नहीं बचा तो एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। प्रदर्शन में हजारों कांग्रेसजन शामिल थे। आज न्याय ने साफ संदेश दे दिया कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।

बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल व शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल तथा पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन कर मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया।

जेसीबी जब्त कर 3.5 लाख का जुर्माना लगाया

बज्जू, (कासं)। बज्जू क्षेत्र के चक 5 बीएमआर में अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपखण्ड अधिकारी सांवरमल रैगर के निर्देश पर खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी मशीन जब्त कर रणजीतपुरा पुलिस को सौंपी गई। अवैध खनन और जेसीबी पर कुल 3.5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।

इस कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के अभियंता अनिरूद्ध सिंह भाटी, आरआई जगदीश प्रसाद और पटवारी अजय कुमार मौजूद थे। एसडीएम रैगर ने बताया कि राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त जांच में यह सामने आया कि चक 5 बीएमआर का मुरब्बा नंबर 167/39 निजी खातेदारी कृषि भूमि है।

यहां से लगभग 115 टन जिप्सम का अवैध खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा था। खनिज अधिनियम नियम 54 और 60 के तहत 115 टन जिप्सम पर ढाई लाख रूपए और जेसीबी मशीन पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम ने बताया कि नहरी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार नियमानुसार निजी खातेदारों को खनन पट्टे जारी करती है, लेकिन असामाजिक तत्व अवैध रूप से खनन करते हैं।

भूपेन्द्र यादव से प्रदूषण से निजात दिलाने की मांग

बीकानेर, (कासं)। जिला कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इन्दौरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, सीकर सांसद अमराराम, झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र ओला, बाड़मेर सांसद उमेदाराम, भरतपुर सांसद संजना जाटव, प्रदेश प्रवक्ता आर.सी. चौधरी के साथ दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात कर खारा औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले धुएं से वायु प्रदूषण एवं केमिकल युक्त गंदे पानी से जल प्रदूषण की समस्या को दूर करने की मांग की साथ ही उन्होंने सुजानदेसर स्थित चांदमल का बाग, मोडजी भट्टा क्षेत्र व सोमारनाथ कुटिया क्षेत्र में फैले जहरीले पानी व गंदे पानी की समस्या के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। बिशनाराम सियाग ने कहा कि लम्बे समय से बीकानेर के खारा गांव में पीओपी की फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पीओपी की फैक्ट्रियों के धुएं के कारण स्थानीय ग्रामीण लोग श्वास की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसी प्रकार सुजानदेसर क्षेत्र की जनता लम्बे समय से जहरीले व गंदे पानी की समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय क्षेत्र वासियों द्वारा कई बार धरना, प्रदर्शन और सत्याग्रह तक किया लेकिन संबंधित विभागों ने सुध नहीं ली।

लोगों ने किया जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन

बीकानेर, (कासं)। राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर सूचना केंद्र में आयोजित जिला विकास प्रदर्शनी का बुधवार को अनेक लोगों ने अवलोकन किया। जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. हरि शंकर आचार्य ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तीन दिवसीय प्रदर्शनी का समापन गुरुवार को होगा। पहले दिन मंगलवार को यह प्रदर्शनी लूणकरणसर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम के दौरान लगाई गई थी। जहां मुख्यमंत्री सहित चिकित्सा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत और जेठानंद व्यास सहित अन्य लोगों ने अवलोकन किया था।

बीकानेर में सवा लाख वोटर्स के नाम कटे

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान में वोटर लिस्ट की नए सिरे से छानबीन करने के बाद बीकानेर जिले की सात विधानसभा सीटों में एक लाख 28 हजार 949 वोट कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा वोट कटौती बीकानेर पूर्व में हुई है, जहां 32 हजार 916 वोट कम हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, जहां 21 हजार 406 वोट कम हो गए हैं।

दरअसल, पूरी कवायद निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत की गई है। बीकानेर में चौंकाने वाली बात ये है कि करीब अस्सी हजार वोटर्स के नाम दो-दो जगह चल रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीकानेर की सातों विधानसभा सीटों में पहले 18 लाख 54 हजार आठ वोट थे, जो अब घटकर 17 लाख 25 हजार 59 रह गए हैं। यहां कम हुए वोट में सबसे बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से अन्यत्र शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का है।

सातों विधानसभा सीटों में 72 हजार 795 वोटर स्थायी रूप से अन्य जगह शिफ्ट हो गए। ऐसे में उनका नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है। इसी तरह 9 हजार 494 वोटर ऐसे हैं, जिनका नाम पहले से जुड़ा हुआ था। इन दोनों ही स्थिति में उन वोटर का नाम हट गया, जिन्होंने अपना नाम दो जगह लिखा रखा है। जैसे कि नोखा में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर बीकानेर शहर में रहने लगा है तो उसका नाम एक जगह से अब हट गया है।

वोटर लिस्ट में 27 हजार 976 वोट ऐसे थे, जिनका निधन हो चुका है। इन सभी का नाम एसआईआर में अभी कट गया है। इसमें भी सर्वाधिक नाम बीकानेर पूर्व में पांच हजार 630 है। वहीं बीकानेर पश्चिमी में पांच हजार 287 वोटर का नाम निधन के कारण कट गया। वहीं खाजूवाला में 3 हजार 674, कोलायत में 2 हजार 681, लूणकरनसर में 3 हजार 993, श्रीडूंगरगढ़ में 3 हजार 313, नोखा में 3 हजार 398 वोटर की मौत हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 17 हजार वोट ऐसे थे, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये न तो वर्तमान पते पर थे और न इनके कोई रिश्तेदार ही मिले। पूरी तरह से अनजान वोट की संख्या 17 हजार 234 रही। यहां भी बीकानेर पूर्व सबसे आगे रहा।

दो माह से आ रहे दूषित पेयजल से लोग परेशान

नोखा, (कासं)। नोखा के सदर बाजार क्षेत्र में पिछले करीब दो माह से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। घरों में आने वाला पानी बदबूदार और गंदा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

निवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायतें दर्ज कराई और अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत भी कराया। हालांकि समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। विभागीय लापरवाही से नाराज लोगों ने अब प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

बुधवार को सदर बाजार क्षेत्र के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड कार्यालय पहुंचा। उन्होंने एसडीएम गोपाल जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर दूषित पानी की आपूर्ति तत्काल रोकने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि जलजनित बीमारियों का खतरा और बढ़ने से दूषित पानी की आपूर्ति बेहद चिंताजनक है। निवासियों ने विभागीय अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई और समाधान न होने पर आगे आंदोलन की

■ **नोखा के सदर बाजार क्षेत्र में दो माह से गंदा दूषित व बदबूदार पेयजल से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है**

■ **निवासियों ने विभागीय अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई और समाधान न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी**

चेतावनी भी दी। एसडीएम जांगिड़ ने समस्या को गंभीरता से लिया।

उन्होंने संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया और कहा कि पेयजल आपूर्ति सुधारने को प्राथमिकता दी जायेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में किशोर दमानी, गिरधारी पारीक, प्रभु भार्गव, महावीर तापडिया सहित कई अन्य लोग शामिल थे।

नोखा में 51 नए बूथ बने

नोखा, (कासं)। नोखा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। विशेष पुनरीक्षण कार्य के बाद इस क्षेत्र में कुल 2 लाख 77 हजार 308 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक सूची में कुल 2 लाख 91 हजार 430 मतदाता शामिल थे। प्रथम चरण की जांच में 14 हजार 122 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त पाये जाने के कारण अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। ने 51 नए मतदान बूथ बनाए हैं।

इसके साथ ही नोखा विधानसभा क्षेत्र में अब कुल 309 मतदान केन्द्र हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव से मतदान प्रक्रिया और अधिक सहज और प्रभावी होगी। गोपाल जांगिड़ ने स्पष्ट किया कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय-सीमा में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।

अवैध बिजली कनेक्शन काटने से जेईएन पर तलवार से हमला

बीकानेर, (कासं)। गैरसरियान और पठानों के मोहल्ले में बीकेईएसएल की ओर से बिजली के अवैध कनेक्शन काटने पर ऑफिस में घुसकर अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में बाइक पर जा रहे जेईएन को रोककर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया।

जेईएन घायल हो गया जिसका पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकेईएसएल के अधिकारियों को गैरसरिया मोहल्ला और पठानों के मोहल्ले में घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन की जानकारी मिली थी।

एईएन डी-5 आशित कुमार शाह की टीम इन मोहल्लों में पहुंची तो 20 घरों में लोगों ने हुकिंग कर अवैध कनेक्शन ले रखे थे। इनमें गैरसरियों का मोहल्ला में अकबर और उसकी भांजी,

■ **कनेक्शन काटने पर नाराज होकर धमकी दी। बाद में वह अपने साथियों के साथ पवनपुरी स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। वहां लक्ष्मण के साथ बैठे अन्य अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी**

पठानों का मोहल्ला में शौकत भी शामिल थे। कार्रवाई के बाद अधिकारी अपने कार्यालय लौट गए। दिन में करीब 2.43 बजे अकबर ने जेईएन लक्ष्मण चौधरी को फोन किया और कनेक्शन काटने पर नाराज होकर धमकी दी। बाद में वह अपने साथियों के साथ पवनपुरी स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। वहां लक्ष्मण के साथ बैठे अन्य अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। सायंकाल करीब 4.30 बजे जेईएन लक्ष्मण बाइक पर सवार होकर जा रहा था। पुराने रोशनीघर की तरफ भाटी पान पैलेस के आगे सरकारी गोदाम के पास ऑटो में सवार होकर आए अकबर, शौकत और दो अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और तलवार से हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मण के शरीर पर चोटें आई।

बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की मांग, ज्ञापन सौंपा

बीकानेर, (कासं)। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बुधवार को पहली बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बार एसोसिएशन बीकानेर के बैनर तले बार काउंसिल सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं को साथ लेकर बीकानेर संभाग में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर जिला न्यायाधीश अश्विनी विज एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के मार्फत राष्ट्रपति सहित चीफ जस्टिस राजस्थान को सौंपा।

ज्ञापन देते हुए बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि 17 अगस्त, 2009 को बार एसोसिएशन, बीकानेर की आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया गया व प्रकट किया गया एवं मांग की गई कि इस संभाग के जनसाधारण को सस्ता एवं सुलभन्याय त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट की एक बैंच बीकानेर में अविलम्ब स्थापित की जावे। सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बीकानेर में ऐतिहासिक एवं वास्तुकला की अनूठी व भव्य ईमारत हाईकोर्ट की बैंच स्थापना हेतु उपलब्ध है जहां पर तत्कालीन बीकानेर राज्य में 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में रही हैं।

वृहद राजस्थान बनने पर हाईकोर्ट को यहां से हटा दिया गया जो कि इस क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कमी व बाधा रही है। बीकानेर संभाग के सभी एडवोकेट्स ने इस मांग की पूर्ति हेतु 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में अपना कार्य स्थगित रखा था। कुलदीप कुमार शर्मा ने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार से यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि विभिन्न हाईकोर्ट्स की बैंचेज अन्यत्र स्थापित करने के लिये उच्च स्तरिय कमेटी का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के समक्ष बीकानेर का मामला पूरी तरह रखने व कमेटी की राय के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। तदोपरांत ही बीकानेर संभाग के एडवोकेट्स ने अपने आन्दोलन में हड़ताल के कदम को स्थगित किया।

तत्कालीन विधि मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा समिति गठन करने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात भारत सरकार ने मौन साध लिया। एडवोकेट्स के इतने लम्बे आन्दोलन एवं भारत सरकार के आश्वासन व विधि मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा लोकसभा में की गई घोषणा पर भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी मांग को लेकर बार एसोसिएशन बीकानेर की आम सभा में प्रत्येक माह के 17वें दिन इस मांग की पूर्ति करवाने हेतु संकल्प प्रकट करने एवं सरकारी एवम् न्याय प्रशासन को स्मरण कराने हेतु एडवोकेट्स द्वारा प्रत्येक 17 तारीख को प्रोटेस्ट-डे के रूप में मनाने का निणन्य लिया हुआ है।

151 छात्रों को स्वेटर-जूते वितरित

नोखा, (कासं)। नोखा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिनियाला में सोमवार को एक सामाजिक पहल के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 151 विद्यार्थियों को स्वेटर, जुराब और जूते-सैंडल वितरित किए गए।

शाला परिवार और सहयोगी सदस्यों के संयुक्त प्रयास से यह वितरण ठंड के मौसम में जरूरतमंद छात्रों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण विश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्नोई ने शाला परिवार के इस प्रयास की प्रशंसा की।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 07.01.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या:** 249, **कार्य का नाम व स्थान:** सहायक मंडल इंजीनियर, सादुलपुर के अधीन सादुलपुर उपमंडल पर विभिन्न लोकेशनों पर पीने के पानी की आपूर्ति करना। (दो वर्षों के लिए) **अनुमानित लागत मूल्य:** ₹ 5085769.14/- **धरोहर राशि:** ₹101700.00/- **नोट:** अन्य शर्तें रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 1627-DK/25

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5009 दिनांक :- 17.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 17/24 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री विनोद शाह पुत्र श्री तिलो शाह निवासी गली नं 03 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री विनोद शाह पुत्र श्री तिलो शाह निवासी गली नं 03 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मोहन लाल पुत्र श्री तेजू राम निवासी 194, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गली नं. 05, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 17/24 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5011 दिनांक :- 17.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 24/25 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 57'-6'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मधु पत्नी श्री कमल सिंह निवासी सागर कॉलोनी हाउस नं 25 गली नं 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मधु पत्नी श्री कमल सिंह निवासी सागर कॉलोनी हाउस नं 25 गली नं 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 24/25 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 57'-6'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4992 दिनांक :- 16.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 3/4 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी गली नं. 10, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी गली नं. 10, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 3/4 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4991 दिनांक :- 16.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री जीवन दास पुत्र श्री मोतीराम निवासी हाउस नं. 67 वार्ड नं. 18 बेगारान मार्ग सेतिया फार्म श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री जीवन दास पुत्र श्री मोतीराम निवासी हाउस नं. 67 वार्ड नं. 18 बेगारान मार्ग सेतिया फार्म श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4989 दिनांक :- 16.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 23/24 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती दर्शना रानी पत्नी श्री चिमन लाल निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती दर्शना रानी पत्नी श्री चिमन लाल निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 23/24 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4983 दिनांक :- 16.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 60'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री पप्पू लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी गली नं 10 चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री पप्पू लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी गली नं 10 चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 60'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email: uit sgnr@yahoo.com
Office Address: UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन /2025/5012 दिनांक-17/12 2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री धर्मचंद